0रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3136] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939
No. 3136] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर , 2017

का.आ. 3577(अ).—प्रारुप अधिसूचना, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1971(अ), तारीख 3 जून, 2016, द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की जिसमें यह उक्त प्रारुप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुक्षावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया था;

और, रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभयारण्य कहा गया है) कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में अवस्थित है और वह येदाटेटु, पुट्टइआहना कोप्पलु ग्राम, श्रीरंगापटना तालुक, अराकेरे और गेंडेहोसाहल्ली ग्राम, श्रीरंगापटना तालुक की ग्राम सीमाओं में कावेरी नदी के 6 द्वीपों और 6 द्वीपिकाओं से मिलकर बना है और वह 0.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ;

और, अभयारण्य के तीन भिन्न भाग है, पहले भाग के अंतर्गत येदाटेटु ग्राम के ग्राम सीमा के अंतर्गत कावेरी नदी में दो द्वीप समूह जिनका विस्तार 0.060 वर्ग किलोमीटर में है (जिसे इसमें इसके पश्चात अभयारण्य का देवराज द्वीप कहा गया है) दूसरे भाग के अंतर्गत पुट्टइआहना कोप्पलु ग्राम की ग्राम सीमा के अंतर्गत कावेरी नदी में 3 द्वीप समूह जिनका विस्तार 0.27 वर्ग किलोमीटर में है (जिसे इसमें इसके पश्चात अभयारण्य का पुट्टइआहना कोप्पलु द्वीप कहा गया है) और तीसरे भाग के अंतर्गत गेंडेहोसाहल्ली और अराकेरे ग्राम की ग्राम सीमा के अंतर्गत चार द्वीपों के समूह जिनका विस्तार 0.34 वर्ग किलोमीटर में है (जिसे इसमें इसके पश्चात अभयारण्य का गेंडेहोसाहल्ली भाग कहा गया है)

और, कावेरी नदी के पार बराज के निर्माण द्वारा बने जलाशय से प्राप्त जल द्वारा द्वीप समुह चारों ओर से घिरा हुआ है और अभयारण्य के चारों ओर सिंचाई कृषि क्षेत्र का व्यापक फैलाव है जहाँ बहुत से अन्य जलीय कीड़े मकोड़े होते है । जिनके कारण अनेक पक्षी अभयारण्य की ओर आकर्षित होते है ;

और, अभयारण्य में चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार पर्णपाती झाड़ी वन है जिसमें द्वीपों के केन्द्रीय भाग में कंटीले झाड़ी जंगल और सीमांत पर बड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन सम्मिलित है ;

और, वनस्पति प्रजातियों के अंतर्गत *साइज़ियम कुमीनी, बर्रिंगटोनिया रेसमोसा, टरमिनालिया अर्जुना, अकाकिया स्पप., कप्पारिस स्पप., डिक्रोस्टासियस साइनेरेया, डोडोनिया विसकोसा, कासिया औरिकुलाटा, पानडनस फस्कीकुलारिस, हारडविकिया बिनाटा, मायटेनस इमरजिनाटा, ग्रेविया टिलियाफोलिया;*

और, अभयारण्य में अद्वितीय और दुर्लभ पौधें पाए जाते हैं अर्थात् इफिगेनिया मायसोरेनसिस और इक्वीसटेम रामोस्सिस्सिमम जिसे सामान्यतः हार्सटेल फर्न के नाम से जाना जाता है;

और, अभयारण्य में प्रचुर पक्षी जीव-जन्तु की 221 प्रजातियां जिसमें आवासी और प्रवासी पक्षी दोनों सम्मिलित है जैसे जलकाग, बगुला, बानकर, सफेद बुजा, वक, घोंघिल, जांघिल, भारतीय बड़ी, ग्रेट स्टोन प्लोवर, पैराडाइस मक्खीमार, क्रेसटेड भुजंग चील, मारश हैरियर, लेस्सेर हंसक, स्पॉट बिल्ड बत्तख, टिटिहरी का संभरण है ;

और, अभयारण्य अन्य प्रकार के पशुओं के लिए भी आवास है जिसमें स्तनधारी, सरीसृप, मछली और सांधिपाद शामिल है जिसमें लघु पुच्छ वानर, सामान्य नेवला, सामान्य उदबिलाव, मुसंग, गादुर, सांप (जहरीले और गैर-जहरीले दोनों) कछुआ, सामान्य भारतीय गोह, मार्स मगरमच्छ और मछलियों की 30 प्रजातियां सम्मिलित हैं ;

और, रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य वनस्पतियों की आईटी प्रजातियां पाई जाती है पाउडर- पफ सदाबहार, फिश-किलर पेड़ *(बैर्रिंगटोनीया रेसमोसाल),* जाँबस टीयर्स *(कोइक्स लाचरीमाल),* क्रियप्ट रेटरोसपीरालीस *(क्रयपटोकोरयने रेटरोसपीरालीस),* इंडियन ग्रास लिली *(लफिजेनीया इंडिका),* लीलीअकेअ {परिवार का नाम} *(स्किल्ला हायसिंथिने),* व्हाइट-वुड चैस्ट पेड़ *(वीटेक्स लेयकोक्सयलोग),* लावन आरकिड, सोलडीरस ओरचिड (जेक्सिन स्ट्रराटेयमेटीका*),* ब्रारंचेड होरसेटइल *(इक्यूपसेअम रमोसीस्स),* चन्दन पेड़ *(संटलुम अल्बम),* क्राउन का थ्रोनस रेड-ग्रीन *(इयुफोरबीआ स्पप.),* आदि, और लिलियासी {परिवार का नाम} *(लफीगनीअ मयसोरेंसीस)* घातक प्रजातियां है।

और, रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वन्यजीवों और उसमें उनके प्राकृतिक वास और उसके पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालनों तथा प्रसंस्करणों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में देवराजा द्वीप के अभयारण्य की सीमा से 0.63 किलोमीटर सें 1.36 किलोमीटर तक; पुट्टताह्नकोपुलु द्वीप के अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर से 2.35 किलोमीटर की दूरी पर और गेंदेहोसाहली द्वीपों की सीमा से 0.35 किलोमीटर से 6.0 किलोमीटर की दूरी तक के विस्तारित क्षेत्र को रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र 28.04 वर्ग किलोमीटर है अभयारण्य के देवराजा द्वीप की सीमा 0.63 किलोमीटर से 1.36 किलोमीटर तक; अभयारण्य के पुट्टइआहना कोप्पलु द्वीप की सीमा 0.50 किलोमीटर से 2.35 किलोमीटर तक और अभयारण्य के गेंडेहोसाहल्ली द्वीप की सीमा 0.35 किलोमीटर से 6.0 किलोमीटर तक विस्तारित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन उपाबंध-I में दिया गया है।

(2) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा का मानचित्र उपाबंध II के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा और रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू- निर्देशांकों के मुख्य बिंदु उपाबंध III के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 26 ग्रामों की सूची का वर्णन उपाबंध IV के रूप में उपाबद्ध हैं ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समेकित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी पर्यटन भी है;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी। यह योजना मानचित्र द्वारा समर्थित होगी, जिसमें विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार

के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें गृह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दी गई:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की संसूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि की परिशुद्धि में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और प्राकृतिक वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं है ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की

पहचान की जाएगी और उनके परिरक्षण और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) वायु प्रदूषण – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का व्ययन और प्रबंध निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का व्ययन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) अकार्बनिक सामग्री का व्ययन पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनिकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का व्ययन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का व्ययन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) ई–अपशिष्ट:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन: - परिवहन का यानीय संचलन प्राकृतिक वास के अनुकूल रीति में विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छ ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) औद्योगिक ईकाइयां: - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल सिर्फ गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है तो इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने कि लिए अन्य अतिरिक्त उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों को या उनके विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईंट भट्ठों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे, सिवाय पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थाई संरचनाओं के। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर से परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यामान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना या यथालागू दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी जैसे कि : (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में गृह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

17.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरियों, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्यकी के साथ चालू कृषि और बागबानी पद्धतियां ।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	अन्यस्थानिक प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर क्षेत्र, मैसूर	-अध्यक्ष;
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iii)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधीकारी, मैसूर, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;
(vi)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(vii)	उपायुक्त मांड्या जिला, मांड्या	-सदस्य;
(viii)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, मांड्या	-सदस्य;
(ix)	विधान सभा सदस्य-श्रीरंगनापटना (कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करने के अधीन रहते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष से अनुमति भी है, यदि अपेक्षित हो)	-सदस्य;
(x)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव	-सदस्य;
(xi)	वन उप-संरक्षक, वन्य जीव प्रभाग, मैसूर	-सदस्य सचिव;

6. निर्देश – निबंधन—

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यां का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को उपाबंध V में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/134/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के तीन भिन्न भाग है, पहले भाग के अंतर्गत येदाटेटु ग्राम के ग्राम सीमा के अंतर्गत कावेरी नदी में दो द्वीप समूह 0.060 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, दूसरे भाग के अंतर्गत पुट्टइआहना कोप्पलु ग्राम की ग्राम सीमा के अंतर्गत कावेरी नदी में 3 द्वीप समूह 0.27 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और तीसरे भाग के अंतर्गत गेंडेहोसाहल्ली और अराकेरे ग्राम की ग्राम सीमा के अंतर्गत चार द्वीपों के समूह 0.34 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है; अतः, तीन अलग पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण नीचे दिया गया हैं।

(i) येदाटेटु ग्राम की सीमा के अंतर्गत अभयारण्य के देवराजा द्वीप भाग.-

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के देवराजा द्वीप भाग के केआरएस-पांडवापुरा मेन रोड- चिक्का कालुवे बाये तट निचले स्तर (एलबीएलएल) सड़क को पार करके त्रि-जंक्शन बिंदु से आरंभ होती है। इसके बाद रेखा चिक्का कालुवे (एलबीएलएल) के साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और निर्देशांक उ 12^0 25.727 पू 76^0 36.040 के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिण दिशा में मुड़कर और चिक्का देवराया नाला पहुँचती है।

पूर्व : बिंदु के ऊपर से रेखा रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के देवराजा द्वीप के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा से होते हुए जाती है; चिक्का देवरिया नाला (उ 12^0 25.637 पू 76^0 36.124) से आरंभ होकर और दक्षिण दिशा में मुड़कर और धान भूमि से होते हुए और कावेरी नदी तट को छूती है। इसके बाद रेखा कावेरी नदी के साथ दक्षिण दिशा में जाती है और देवराजा नाला में निर्देशांक उ 12^0 24.743 पू 76^0 36.217 के साथ बिंदु पहुँचती है।

दक्षिण : बिंदु के ऊपर से रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य की देवराजा द्वीप के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा से आरंभ होकर और इसके बाद रेखा नाला के साथ दक्षिण दिशा में जाती है और निर्देशांक उ 12^0 24.610 पू 76^0 36.237 के साथ बिंदु पहुँचती है और इसके बाद रेखा धान भूमि के पश्चिमी दिशा की ओर जाकर और बायं तट निचला स्तर (आरबीएलएल) के निर्देशाकं उ 12° 24.602' पू 76° 35.752' के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा आरबीएलएल के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और मजीगेपुरा ग्राम में जल आपूर्ति पाइप लाइन पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा उत्तर पश्चिम भाग की ओर मुड़कर और जल आपूर्ति पाइप लाइन के साथ जाकर केआरएस-पांडवापुरा मेन रोड पहुँचती है।

पश्चिम : बिंदु के ऊपर से रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के देवराजा द्वीप के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पश्चिमी सीमा के होंगल्ली ग्राम के निकट केआरएस-पांडवापुरा मेन रोड से आरंभ होकर और सीमा रेखा मेन रोड से 130 मीटर के साथ उत्तर भाग की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त रेखा उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर और केआरएस पार्किंग रोड के निर्देशांक उ 12° 25.388 पू 76° 34.630 के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ जाती है फिर यह केआरएस-पांडवापुरा मेन रोड पहुँच कर और इसके अतिरिक्त रेखा उत्तर दिशा की ओर जाकर और अंततः आरंभिक बिंदु पहुँचती है।

(II) पुट्टइआहना कोप्पलु ग्राम की सीमा के अंतर्गत अभयारण्य के रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य भाग.-

उत्तर: रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के येन्नेहोले कोप्पलु-पुट्टइआहना कोप्पलु सड़क को पार करके त्रि-जंक्शन बिंदु से आरंभ होती है। इसके बाद रेखा ग्राम सड़क के साथ पूर्व दिशा में मुड़कर और दोद्देगोवदाना कोप्पलु ग्राम गेट पहुँचती है। इसके बाद 200 मीटर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ती हैं फिर यह दोद्देगोवदाना कोप्पलु-रामपुरा सड़क के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।

पूर्व: बिंदु के ऊपर से रेखा धान भूमि सड़क के साथ होते हुए दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और कावेरी नदी बांध को छूती है। इसके बाद रेखा कावेरी नदी को पार करके और करीमंती ग्राम सड़क के बंगारादोद्दी चैनल पहुँचती है। इसके बाद रेखा धान भूमि से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़कर और करीमंती ग्राम सड़क को छूती है।

दक्षिण: बिंदु के ऊपर से रेखा करीमंती ग्राम सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और ओनी मरम्मा मंदिर पहुँचती है। इसके बाद रेखा रंगनाथिटू के सड़क पर विराजा चैनल को छूती है। इसके बाद रेखा विराजा चैनल सड़क के साथ जाती है और पलाहल्ली ग्राम सीमा से होते हुए और विराजा चैनल के पलाहल्ली श्रीनिवासा भूमि के निकट बरगद वृक्ष को छूती है।

पश्चिम: बिंदु के ऊपर से रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पश्चिमी सीमा के विराजा चैनल के पलाहल्ली श्रीनीवासा भूमि के निकट बरगद वृक्ष से आरंभ होती है और इसके बाद रेखा पलाहल्ली ग्राम सीमा के धान भूमि से होते हुए उत्तर दिशा की ओर जाती है और कावेरी नदी को छूती है। इसके बाद रेखा कावेरी नदी को पार करके और सड़क के साथ येनेहोल्ले कोप्पलु ग्राम को छूती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ उत्तर और पूर्व दिशा की ओर जाती है और आरंभिक बिंदु पहुँचती है।

(ii) गेंदेहोसाहल्ली और अराकेरे ग्राम की सीमा के अंतर्गत अभयारण्य के गेंदेहोसाहल्ली भाग.-

उत्तर: रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा महादेवापुरा टोल गेट के निकट मैसूर से महादेवापुरा सड़क तक आरंभ होती है। इसके बाद रेखा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और महादेवापुरा ग्राम के निकट कावेरी नदी पुल को पार करके और श्रीरंगनापटना-बैन्नूर मुख्य सड़क के त्रि-जंक्शन सड़क बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और सड़क के साथ होते हुए गेंदेहोसाल्ली द्वीप के अर्च गेट को छूती है। इसके बाद रेखा सड़क के साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और मंडयाकोप्पलु-गेंदेहोसाल्ली ग्राम के त्रि-जंक्शन सड़क बिंदु को छूती है।

पूर्व: बिंदु के ऊपर से मंडयाकोप्पलु-गेंदेहोसाल्ली ग्राम के त्रि-जंक्शन सड़क बिंदु से इसके बाद रेखा चिक्का देवराया चैनल सड़क के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है। इसके बाद रेखा चैनल सड़क के साथ जाती है और गेंदेहोसाल्ली ग्राम को छूती है। इसके बाद रेखा ग्राम सड़क के साथ जाती है और रामास्वामी चैनल पहुँचती है। इसके बाद रेखा चैनल सड़क के साथ जाती है और कोडागल्ली ग्राम सीमा पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा चैनल के साथ दक्षिण दिशा में मुड़कर और बैन्नूर-मैसूर सड़क के पुल बिंदु पहुँचती है।

दक्षिण: बिंदु के ऊपर से रेखा पुल के साथ कावेरी नदी को पार करके पश्चिम दिशा की ओर जाती है और बैन्नूर-मैसूर सड़क के निकट राजापरमेश्वरी चैनल पहुँचती है।

पश्चिम: बिंदु के ऊपर से रेखा राजापरमेश्वरी चैनल से होते हुए और राजापरमेश्वरी चैनल के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और बिदराहल्लीहुण्डी ग्राम सीमा पहुँचती है। इसके बाद रेखा राजापरमेश्वरी चैनल सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है। इसके बाद रेखा महादेवापुरा ग्राम सड़क के साथ उत्तर दिशा में जाकर और पश्चिम में मुड़ती है और आरंभिक बिंदु पहुँचती है।

उपाबंध II

रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन को उपदर्शित करने वाला मानचित्र

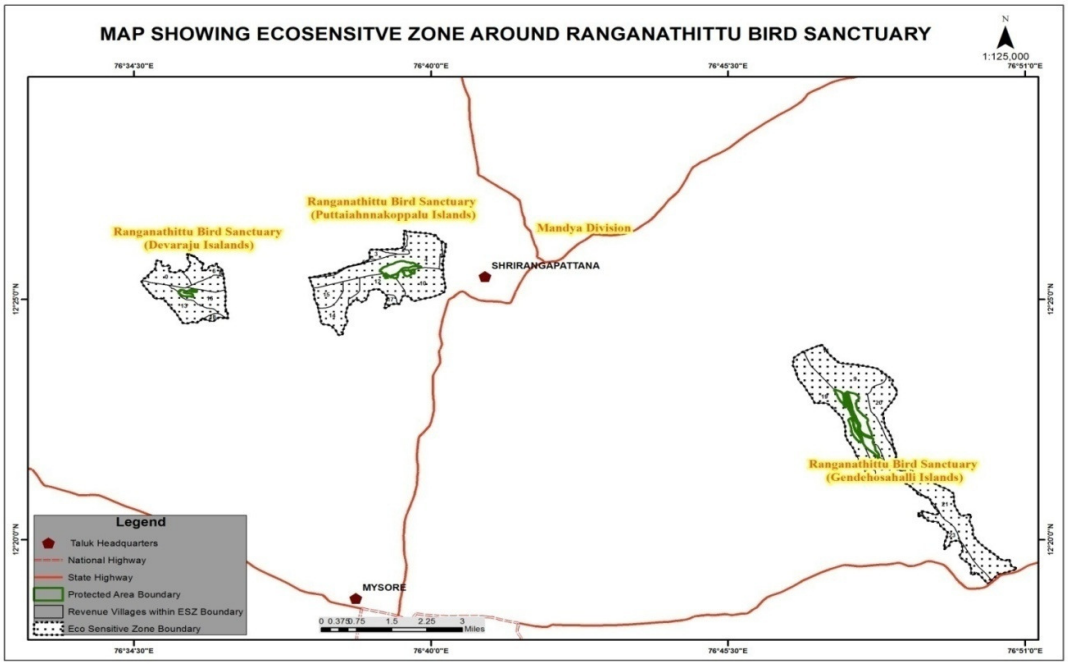

उपाबंध III

रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य की सीमा पर मुख्य बिंदुओ के भू- निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

स्थान का मानचित्र	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
I	अभयारण्य देवराजा द्वीप का भाग					
1	12	25	11.94	76	35	20.76
2	12	25	9.36	76	35	27.12
3	12	25	4.98	76	35	35.40
4	12	25	3.36	76	35	34.44
5	12	25	4.68	76	35	25.68
6	12	25	10.74	76	35	19.08
7	12	25	12.12	76	35	31.02
8	12	25	12.42	76	35	39.54
9	12	25	9.42	76	35	38.64
10	12	25	10.08	76	35	32.22
II	अभयारण्य रंगनाथिटू द्वीप का भाग					
1	12	25	23.16	76	39	5.79
2	12	25	39.61	76	38	59.40
3	12	25	47.72	76	39	40.92
4	12	25	40.13	76	39	30.30
5	12	25	23.56	76	39	25.61
6	12	25	22.20	76	39	18.50
III	अभयारण्य गेंडेहोसल्ली द्वीप का भाग					
1	12	23	8.71	76	47	39.22
2	12	22	42.72	76	47	54.10
3	12	22	11.50	76	48	6.04
4	12	22	40.53	76	47	46.47

रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य बिंदुओ के भू- निर्देशांक दर्शाने वाली सारणी

स्थान का मानचित्र	**देशांतर**			**अक्षांश**		
	डिग्री	**मिनट**	**सैकेंड**	**डिग्री**	**मिनट**	**सैकेंड**
I	**अभयारण्य देवराजा द्वीप भाग के लिए**					
1	12	25	48.84	76	34	54.13

2	12	25	56.71	76	35	29.28
3	12	25	43.60	76	36	02.41
4	12	25	38.22	76	36	07.44
5	12	24	44.58	76	36	13.02
6	12	24	36.60	76	36	14.22
7	12	24	36.12	76	35	45.12
8	12	24	31.38	76	35	24.90
9	12	25	01.26	76	35	01.74
10	12	25	01.92	76	34	52.08
11	12	25	06.06	76	34	51.06
12	12	25	23.28	76	34	37.80
13	12	25	40.14	76	34	53.82
II	पुट्टइआहना कोप्पलु और गेंडेहोसल्ली अभयारण्य द्वीप भागों के लिए					
1	12	26	9.81	76	38	51.05
2	12	26	17.43	76	39	52.60
3	12	26	15.18	76	40	13.94
4	12	25	53.94	76	40	11.06
5	12	25	23.70	76	40	15.87
6	12	25	15.43	76	40	16.60
7	12	25	3.31	76	39	42.26
8	12	25	10.93	76	39	30.63
9	12	24	54.59	76	39	8.17
10	12	25	0.42	76	38	41.74
11	12	24	32.82	76	37	59.60
12	12	25	32.80	76	37	43.89
13	12	25	55.57	76	38	48.06
14	12	23	54.12	76	46	38.51
15	12	24	9.82	76	47	12.14
16	12	23	41.65	76	47	50.28
17	12	23	22.07	76	48	32.04

18	12	22	42.08	76	48	18.78
19	12	22	15.57	76	48	13.58
20	12	21	37.01	76	48	28.08
21	12	19	28.28	76	50	54.45
22	12	19	7.63	76	50	14.63
23	12	21	20.61	76	48	3.81
24	12	22	2.82	76	47	45.04
25	12	22	50.50	76	47	24.75
26	12	22	54.40	76	47	3.73

उपाबंध –IV

रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची (देवराजा द्वीप, पुट्टइआहना कोप्पलु द्वीप और गेंडेहोसल्ली और अराकेरे द्वीप, के लिए)

मानचित्र आई.डी	स्थान	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर में	देशांतर			अक्षांश			टिप्पणियां
				डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड	
1	पुत्ताय्यानकोप्पल	पनडावापुरा	21.53	12	26	4.20	76	39	24.56	
2	येन्नेहोलेकोप्पल	पनडावापुरा	21.11	12	25	56.15	76	39	1.98	
3	डोड्डेगोवदानाकोपलु	श्रीरंगापटना	283.46	12	25	48.69	76	39	16.89	
4	चालुवरसीमाकोप्पल	पनडावापुरा	4.44	12	25	46.14	76	38	45.24	
5	अगराहर	श्रीरंगापटना	11.63	12	25	54.17	76	40	12.51	
6	अरालाकुप्पेनाला	पनडावापुरा	6.40	12	25	31.71	76	38	7.34	
7	अरकेरे	श्रीरंगापटना	392.41	12	23	3.05	76	47	50.44	
8	करीमनती	श्रीरंगापटना	153.40	12	25	20.15	76	39	50.56	
9	वदीयानदालहल्ली	श्रीरंगापटना	0.12	12	23	55.78	76	47	19.10	
10	पलहल्ली	श्रीरंगापटना	112.82	12	25	14.95	76	39	2.05	
11	बेलागोला	श्रीरंगापटना	123.12	12	24	50.33	76	38	18.80	आंशिक गांव
12	कारेपुर	श्रीरंगापटना	70.95	12	25	5.68	76	38	5.51	
13	केमपलिनगापुर	श्रीरंगापटना	13.59	12	24	58.33	76	39	14.16	
14	महादेवपुर	श्रीरंगापटना	249.68	12	22	46.27	76	47	25.22	
15	गेमदेहोसहल्ली	श्रीरंगापटना	110.47	12	22	50.59	76	48	21.56	
16	बेन्नुर	टी. नरसीपुरा	383.39	12	20	31.12	76	49	32.20	
17	हरोहल्ली	मैसूर	3.16	12	21	13.81	76	48	26.51	
18	मदागारेहुनदी	टी. नरसीपुरा	95.34	12	19	58.03	76	49	42.19	
19	रंगानाथपुर	टी. नरसीपुरा	2.04	12	20	22.50	76	49	10.37	
20	चीक्कायारधाल्ली	पनडावापुरा	86.25	12	25	28.30	76	35	7.38	
21	कट्टेरीननादा	पनडावापुरा	2.42	12	25	33.03	76	36	6.98	

अक्षांश

22	दोद्देगयदाअनकोपलु	श्रीरंगापटना	334.06	12	25	44.17	76	38	46.34	
23	दुद्दाघाट्टा	पनडावापुरा	69.03	12	25	35.68	76	35	42.97	
24	होंगानाहल्ली	श्रीरंगापटना	148.87	12	24	55.33	76	35	20.01	
25	येदाटेटु	श्रीरंगापटना	93.14	12	25	0.34	76	35	50.81	
26	बलामुरी	श्रीरंगापटना	11.78	12	24	37.78	76	35	58.54	
		कुल:	2804.61							

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक उपाबद्ध के रुप में उपाबद्ध किए जा सकते है)
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th Novermber, 2017

S.O. 3577(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 1971(E), dated 3rd June, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Govt.;

AND WHEREAS, the Ranganathittu Bird Sanctuary (hereinafter referred to as Sanctuary) is situated in Mandya District of Karnataka and comprises of six islands and six islets in the river Cauvery in the village limits of Yedatetu, Puttaiahna Koppalu, Arkere and Gendehosahally Villages of Srirangapatna Taluk which spread over an area of 0.67 Square Kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary has three distinct parts, the first part consists of two islands having an extent of 0.060 Sq. Kms (hereinafter referred to as Devaraja islands of the Sanctuary) in the Cauvery river falling within the village limits of Yedatetu Village, the second part comprising of three islands in the Cauvery river falling within the village limits of Puttaiahna Koppalu Village having an extent of 0.27 Sq. Kms (hereinafter referred to as Puttaihnakoppalu islands of the Sanctuary) and the third part has cluster of

four islands having an extent of 0.34 Sq. kms falling within the village limits of Gendehosahally and Arakere Villages (hereinafter referred to as Gendehosahally part of the Sanctuary);

AND WHEREAS, the islets are surrounded by the water received from a reservoir formed by the construction of weir across river Cauvery and the Sanctuary is surrounded by vast stretch of irrigated agricultural fields where aquatic insects are available in plenty, *inter, alia*, these insects attracts numerous birds to the Sanctuary.

AND WHEREAS, the Sanctuary has Deciduous Scrub Forests as per Champion and Seth classification which includes Thorny Scrub Jungle in the central part of the islands and Broad leaved deciduous forest on the margins;

AND WHEREAS, the vegetation comprises of species of *Syzigium cumini, Barringtonia racemosa, Terminalia arjuna, Acacia sp., Capparis sp., Dichrostachys cinerea, Dodonaea viscose, Cassia auriculata, Pandanus fascicularis, Hardwickia binata, Maytenus emarginata, Grewia tiliaefolia;*

AND WHEREAS, the Sanctuary also harbours unique and rare plants viz. *Iphigenia mysorensis* and *Equisetum ramossissimum* commonly known as Horsetail fern;

AND WHEREAS, the Sanctuary supports rich avian fauna comprising of 221 species which includes both resident and migratory birds such as Cormorants, egrets, darter, white ibis, spoonbill, herons, open billed stork, painted storks, Indian river tern, great stone plover, Paradise flycatcher, Crested Serpent Eagle, Marsh Harrier, lesser Whistling Teal, Spot billed Duck, Sandpiper.

AND WHEREAS, the Sanctuary is also home for other types of animals including mammals, reptiles, fishes and arthropods which include Bonnet Macaque, Common Mongoose, Common Otter, Palm Civet, Fruit Bat, snakes (both poisonous and non-poisonous), turtles, Common Indian Monitor, Marsh Crocodile and 30 species of fishes;

AND WHEREAS, RET species of flora found in Ranganathittu Bird Sanctuary are Powder-puff Mangrove, Fish-killer tree (*Barringtonia racemosal*), Job's Tears (*Coix lachrymal),* Crypt Retrospiralis (*Cryptocoryne retrospiralis),* Indian Grass Lily (*Lphigenia indica),* Liliaceae {Family name} (*Scilla hyacinthine),* White-Wood Chaste Tree (*Vitex leucoxylong),* Lawn orchid, Soldier's Orchid (*Zeuxine strateumatica),* Branched Horsetail (*Equiseum ramosiss),* Sandal tree (*Santalum album),* Crown of Thorns red-green (*Euphorbia spp.),* etc.. *and* Liliaceae {Family name} (*Lphigenia mysorensis) being Endemic species.*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Ranganathittu Bird Sanctuary as Eco-Sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone to protect wildlife and their habitat therein or its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.63 kilometers to 1.36 kilometers from the boundary of Devaraja islands of the Sanctuary; 0.50 kilometers to 2.35 kilometers from the boundary of Puttaihnakoppalu islands of the Sanctuary and 0.35 kilometers to 6.0 kilometers from the boundary of the Gendehosahally islands of the Sanctuary in the State of Karnataka, as the Ranganathittu Bird Sanctuary Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

(III) **Extent and boundary of Eco-Sensitive Zone.-**

(1) The total geographical area of the Eco-sensitive Zone is 28.04 square kilometers with an extent varying from 0.63 kilometers to 1.36 kilometers from the boundary of Devaraja islands of the Sanctuary; 0.50 kilometers to 2.35 kilometers from the boundary of Puttaihnakoppalu islands of the Sanctuary and 0.35 kilometers to 6.0 kilometers from the boundary of the Gendehosahally islands of the Sanctuary. The description of boundaries of Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary with latitudes longitudes is appended as **Annexure II;**

(3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Ranganathittu Bird Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure-III.**

(4) The details of the list of 26 villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture and Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal and urban development;
(x) Panchayati Raj;and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto..

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(c) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as

		per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and

		(v) promoted activities listed in this Notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.

26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	The Regional Commissioner, Mysuru	- Chairman;
(ii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka.	- Member;
(iii)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	- Member;
(iv)	One representative of Non Government Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case	- Member ;
(v)	The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board Mysuru,.	- Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case	- Member;
(vii)	Deputy Commissioner Mandya District, Mandya	- Member;
(viii)	The Chief Executive Officer, Zilla Panchayath , Mandya	- Member ;
(ix)	Member of Legislative Assembly-Srirangapattana Constituency (Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)	- Member;

(x)	Member, State Biodiversity Board (xi)The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysuru	-Member; - Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/134/2015-ESZ]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone around Ranganathittu Bird Sanctuary.

The Ranganathittu Bird Sanctuary comprises of three parts; the first part consists of two islands having an extent of 0.060 Sq. Kms in the Cauvery river falling within the village limits of Yedatetu Village, the second part comprising of three islands in the Cauvery river falling within the village limits of Puttaiahna

Koppalu Village having an extent of 0.27 Sq. Kms and the third part has cluster of four islands having an extent of 0.34 Sq. kms falling within the village limits of Gendehosahally and Arakere Villages; hence, three separate Eco-sensitive Zone boundary descriptions are given below.

(i) Devaraja Islands part of the Sanctuary falling within the limits of Yedetetu village.-

North: The boundary of Eco-sensitive Zone of Devaraju Island part of Ranganathittu Bird Sanctuary begins from tri-junction point of KRS-Pandavapura Main road - Chikka Kaaluve Left Bank Low Level (LBLL) road cross. Then the line moves in east direction along the Chikka Kaaluve (LBLL) road and reaches the point with co-ordinates N 12^0 25.727 E 76^0 36.040. Then the line moves in south direction and reaches Chikkadevaraya Nala.

East: Fom the above point the line runs in the eastern boundary of Eco-sensitive zone to Devaraja Islands of Ranganathittu Bird Sanctuary; begins from Chikkadevaraya Nala (N 12^0 25.637 E 76^0 36.124) and moves in south direction and passes along the paddy fields and touches the Cauvery River Bank. Then the line runs in south direction along the Cauvery River and reaches the Devaraja Nala at a point with co-ordinates N 12^0 24.743 E 76^0 36.217.

South: From the above point the southern boundary of the Eco-sensitive Zone to Devaraja Island of Ranganathittu Bird Sanctuary begins from Devaraja Nala and then the line runs in south direction along the Nala and reaches a point with co-ordinates N 12^0 24.610 E 76^0 36.237 and then line runs towards west direction all along the paddy fields and reaches the Right Bank Low Leveller (RBLL) at the point with co-ordinates N 12° 24.602' E 76° 35.752'. Then the line runs in south west direction all along the RBLL and reaches the water supply pipeline at Majjigepura village and further the line turns towards northwest side and runs all along the water supply pipeline to reach the KRS-Pandavapura main Road.

West: From the above point the Western boundary of Eco-sensitive zone to Devaraj Island of Ranganathittu Bird Sanctuary begins from KRS-Pandavapura Main Raod near Hongally village and the boundary line runs on the north side along the main road upto 130 meters and further the line turns to northwest direction and reaches at KRS parking road at a point with co-ordinates N 12° 25.388 E 76° 34.630. Then the line runs all along the road till it reaches the KRS-Pandavapura main road and further the line runs towards north direction and finally reaches the starting point.

(ii) Ranganathittu part of the Sanctuary falling within the limits of Puttaiana Koppalu Village.-

North: The boundary of the Eco-sensitive zone to Ranganathittu Bird Sanctuary begins from tri-junction point of Yennehole Koppalu-Puttaiana Koppalu road cross. Then the line moves in east direction along the village road and reaches the Doddegowdana Koppalu village gate. Then the line moves towards east direction up to 200 meters till it reaches the tri-junction point of Doddegowdana Koppalu- Rampura Road.

East: From the above point the line turns towards south and east directions passing along the paddy fields road and touches the Cauvery River bund. Then the line crosses the Cauvery River and reaches the Bangaradoddi Channel of Karimanti village road. Then the line moves in south direction through paddy fields and touches the Karimanti village road.

South: From the above point the line turns towards west direction along the Karimanti village road and reaches the Oni Maramma Temple. Then the line touches the Viraja channel on the road leading to Ranganathittu. Then the line runs along the Viraja channel road and passing through the Palahally village limit and touches the Banyan Tree near Palahally Srinivasa Land on Viraja channel.

West: From the above point the Western boundary of Eco-sensitive Zone of Ranganathittu Bird Sanctuary begins from the Banyan Tree near Palahally Srinivasa Land on Viraja channel and then the line turns towards north direction through paddy fields of Palahally village limit and touches the Cauvery River. Then line crosses the Cauvery River and touches the Yenneholekoppalu village along the road. Then the line runs along the road towards north and east directions and reaches the starting point.

(iii) Gendehosahalli part of the Sanctuary falling within the limits of Gendehosahalli & Arakere villages.-

North: The boundary of Eco-sensitive Zone to Ranganathittu Bird Sanctuary begins from Mysore to Mahadevapura road near Mahadevapura toll gate. Then the line moves towards north east direction and crosses the Cauvery River bridge near Mahadevapura village and reaches the tri-junction road point of Srirangapatna-Bannur main road. Then line turns towards east direction and passes along the road and touches the Arch gate of Gendehosally Island. Then the line moves towards east direction along the road and touches the Mandya koppalu-Gendehosally village tri-junction road point.

East: From the above point Mandya koppalu-Gendehosally village tri-junction road point then the line runs towards south direction along the Chikkadevaraya Channel road. Then the line runs along the channel road and touches the Gendehosally village. Then the line runs along the village road and reaches the Ramaswamy channel. Then the line runs along the channel road and reaches the Kodagalli village border. Further, the line moves in south direction along the channel and reaches the Bannur-Mysuru road at the bridge point.

South: From the above point the line runs towards west direction crossing the Cauvery River along the bridge and reaches the Rajaparameshwari channel near Bannur-Mysuru road.

West: From the above point the line runs from Rajaparameshwari channel and moves towards north direction along the Rajaparameshawari channel road and reaches the Bidrahallihundi village border. Then the line runs towards north direction along the Rajapameshwari channel road. Then the line turns west and runs in north direction along the Mahadevapura village road and reaches the starting point.

ANNEXURE –II

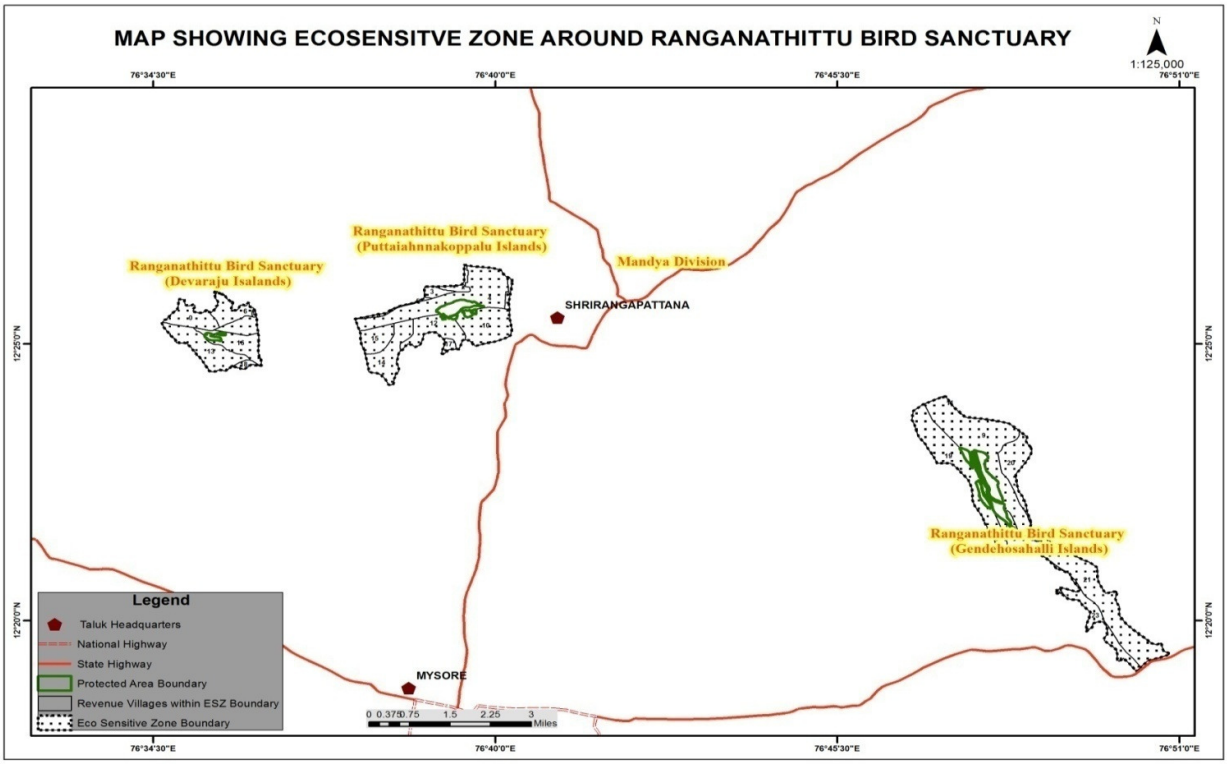

ANNEXURE-III

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Ranganathittu Bird Sanctuary.

Location on the Map	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
I	DEVARAJA ISLANDS PART OF THE SANCTUARY					
1	12	25	11.94	76	35	20.76
2	12	25	9.36	76	35	27.12
3	12	25	4.98	76	35	35.40
4	12	25	3.36	76	35	34.44
5	12	25	4.68	76	35	25.68
6	12	25	10.74	76	35	19.08
7	12	25	12.12	76	35	31.02
8	12	25	12.42	76	35	39.54
9	12	25	9.42	76	35	38.64
10	12	25	10.08	76	35	32.22
II	RANGANATHITTU PART OF THE SANCTUARY					
1	12	25	23.16	76	39	5.79
2	12	25	39.61	76	38	59.40
3	12	25	47.72	76	39	40.92
4	12	25	40.13	76	39	30.30
5	12	25	23.56	76	39	25.61
6	12	25	22.20	76	39	18.50
III	GENDEHOSHALLY PART OF THE SANCTUARY					
1	12	23	8.71	76	47	39.22
2	12	22	42.72	76	47	54.10
3	12	22	11.50	76	48	6.04
4	12	22	40.53	76	47	46.47

Table showing Geo Coordinates of major points on the Eco-Sensitive Zone boundary around Rangnathittu Bird Sanctuary.

Location on the Map	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
I	For Devaraja Islands part of the Sanctuary					
1	12	25	48.84	76	34	54.13
2	12	25	56.71	76	35	29.28
3	12	25	43.60	76	36	02.41
4	12	25	38.22	76	36	07.44
5	12	24	44.58	76	36	13.02
6	12	24	36.60	76	36	14.22
7	12	24	36.12	76	35	45.12
8	12	24	31.38	76	35	24.90
9	12	25	01.26	76	35	01.74
10	12	25	01.92	76	34	52.08
11	12	25	06.06	76	34	51.06
12	12	25	23.28	76	34	37.80
13	12	25	40.14	76	34	53.82
II	For Puttaina Koppalu and Gendehosahalli Islands part of the Sanctuary					

1	12	26	9.81	76	38	51.05
2	12	26	17.43	76	39	52.60
3	12	26	15.18	76	40	13.94
4	12	25	53.94	76	40	11.06
5	12	25	23.70	76	40	15.87
6	12	25	15.43	76	40	16.60
7	12	25	3.31	76	39	42.26
8	12	25	10.93	76	39	30.63
9	12	24	54.59	76	39	8.17
10	12	25	0.42	76	38	41.74
11	12	24	32.82	76	37	59.60
12	12	25	32.80	76	37	43.89
13	12	25	55.57	76	38	48.06
14	12	23	54.12	76	46	38.51
15	12	24	9.82	76	47	12.14
16	12	23	41.65	76	47	50.28
17	12	23	22.07	76	48	32.04
18	12	22	42.08	76	48	18.78
19	12	22	15.57	76	48	13.58
20	12	21	37.01	76	48	28.08
21	12	19	28.28	76	50	54.45
22	12	19	7.63	76	50	14.63
23	12	21	20.61	76	48	3.81
24	12	22	2.82	76	47	45.04
25	12	22	50.50	76	47	24.75
26	12	22	54.40	76	47	3.73

ANNEXURE –IV

Details of the list of Villages falling within the Eco-Sensitive Zone around Ranganathittu Bird Sanctuary(For Devaraja Islands, Puttainakoppalu Islands and Gendehosahally & Arakere Islands).

Map ID	Location	Taluk	Area in Ha	Latitude			Longitude			Remarks
				Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.	
1	Puttayyanakoppal	Pandavapura	21.53	12	26	4.20	76	39	24.56	
2	Yenneholekoppal	Pandavapura	21.11	12	25	56.15	76	39	1.98	
3	Doddegaudankoplu	Srirangapatna	283.46	12	25	48.69	76	39	16.89	
4	Chaluvarasinakoppal	Pandavapura	4.44	12	25	46.14	76	38	45.24	
5	Agrahar	Srirangapatna	11.63	12	25	54.17	76	40	12.51	
6	Aralakuppenala	Pandavapura	6.40	12	25	31.71	76	38	7.34	
7	Arkere	Srirangapatna	392.41	12	23	3.05	76	47	50.44	
8	Karimanti	Srirangapatna	153.40	12	25	20.15	76	39	50.56	Partial
9	Vadiyandalhalli	Srirangapatna	0.12	12	23	55.78	76	47	19.10	Villages
10	Palhalli	Srirangapatna	112.82	12	25	14.95	76	39	2.05	
11	Belagola	Srirangapatna	123.12	12	24	50.33	76	38	18.80	
12	Karepur	Srirangapatna	70.95	12	25	5.68	76	38	5.51	
13	Kemplingapur	Srirangapatna	13.59	12	24	58.33	76	39	14.16	
14	Mahadevpur	Srirangapatna	249.68	12	22	46.27	76	47	25.22	
15	Gendehosahalli	Srirangapatna	110.47	12	22	50.59	76	48	21.56	
16	Bannur	T.Narasipura	383.39	12	20	31.12	76	49	32.20	

17	Harohalli	Mysore	3.16	12	21	13.81	76	48	26.51	
18	Madagarehundi	T.Narasipura	95.34	12	19	58.03	76	49	42.19	
19	Ranganathapur	T.Narasipura	2.04	12	20	22.50	76	49	10.37	
20	Chikkayardhalli	Pandavapura	86.25	12	25	28.30	76	35	7.38	
21	Katterinada	Pandavapura	2.42	12	25	33.03	76	36	6.98	
22	Doddegaudankoplu	Srirangapatna	334.06	12	25	44.17	76	38	46.34	
23	Duddaghatta	Pandavapura	69.03	12	25	35.68	76	35	42.97	
24	Honganhalli	Srirangapatna	148.87	12	24	55.33	76	35	20.01	
25	Yedatetu	Srirangapatna	93.14	12	25	0.34	76	35	50.81	
26	Balamuri	Srirangapatna	11.78	12	24	37.78	76	35	58.54	
		Total:	**2804.61**							

ANNEXURE – V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.14 11:58:01 +05'30'